भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2095
दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर देने के लिए

एनएफटीआई का कामकाज

2095. श्री जी. सेल्वम:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री धनुष एम. कुमार:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री गजानन कीर्तिकर:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस:
श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) देश में कितने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएफटीआई) मंत्रालय के अधीन कार्यशील हैं;

(ख) खाद्य प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में कितने पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं;

(ग) क्या एनएफटीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में श्रमशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार ने एनएफटीआई के कार्यकरण का मूल्यांकन और समीक्षा की है और यदि हां, तो मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है तथा कमियों के संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(च) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सृजित रोजगार के अवसरों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(छ) आगामी पांच वर्षों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत दो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), कुंडली, हरियाणा और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम), तंजावूर, तमिलनाडु कार्य कर रहे हैं ।

(ख): निफ्टेम के द्वारा चलाये जा रहे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में है ।

(ग) और (घ): दोनों निफ्टेम खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की मानव संसाधन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं । इन संस्थानों में प्रत्येक वर्ष लगभग 270 अंडरग्रेजुएट बी.टेक के विद्यार्थियों, 126 एम.टेक के विद्यार्थियों और 30 एमबीए के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान किया जाता है । निफ्टेम के अतिरिक्त, केंद्र द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा संचालित अनेक संस्थान एवं निजी संस्थान/विश्वविद्यालय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं सहयोगी क्षेत्र में जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने का ध्यान रखने लिए पाठ्यक्रम चलाते हैं ।

(ड): इस क्षेत्र के कार्य तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए दोनों निफ्टेमों को निफ्टेम अधिनियम, 2021 द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (आईएनआई) का दर्जा प्रदान किया गया है । इस अधिनियम में संस्थान के कार्यकलापों का समन्वय करने और अनुभवों, विचारों तथा सरोकारों को साझा करना सरल किए जाने की संकल्पना की गई है ताकि संस्थान के कार्य निष्पादन में वृद्धि की जा सके । इन संस्थानों के कार्य का पर्येवेक्षण करने हेतु इस अधिनियम शासी निकायों, सीनेट तथा अन्य ऐसे प्राधिकारों का प्रावधान किया गया है ।

(च) और (छ): एमओएफपीआई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के माध्यम से पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्रों जिसमें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी शामिल है द्वारा प्रकाशित रोजगार के आंकड़ों का प्रयोग करता और इसके लिए एमओएफपीआई द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है । वर्ष 2016-17 से पंजीकृत खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्रियों/ईकाइयों में कार्यरत व्यक्तियों की राज्य-वार तथा वर्ष-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है ।

*****

अनुबंध-I

एनएफटीआई का कामकाज के संबंध में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम और प्रबंधन संस्थान (निफ्टेम) द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की सूची

<u>निफ्टेम – कुंडली</u>

i. बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी प्रबंधन)
ii. खाद्य प्रसंस्करण अभियांत्रिकी और प्रबंधन (एफपीईएम) में एम.टेक
iii. खाद्य प्रौद्योगिकी और प्रबंधन (एफटीएम) में एम.टेक
iv. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन (एफएसक्यूएम) में एम.टेक
v. खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (एफएससीएम) में एम.टेक
vi. खाद्य संयंत्र प्रचालन तथा प्रबंधन (एफपीओएम) में एम.टेक
vii. खाद्य अभियांत्रिकी (एफई) में पीएच.डी.
viii. खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पीएच.डी.
ix. बुनियादी और व्यवहारिक विज्ञान
x. कृषि और पर्यावरण विज्ञान (एईएस) में पीएच.डी.
xi. खाद्य व्यवसाय प्रबंधन तथा उद्यमिता विकास (एफबीएम एंड ईडी) में पीएच.डी.
xii. व्यवसायिक प्रशासन में मास्टर (एमबीए)

<u>निफ्टेम-तंजावूर</u>

i. बी.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी)
ii. एम.टेक (खाद्य प्रौद्यागिकी) खाद्य प्रसंस्करण अभियांत्रिकी
iii. एम.टेक (खाद्य प्रौद्योगिकी) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
iv. एम.टेम (खाद्य प्रौद्योगिकी) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन
v. पीएच.डी. (खाद्य प्रौद्योगिकी) खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी
vi. पीएच.डी (खाद्य प्रौद्योगिकी) खाद्य प्रसंस्करण अभियांत्रिकी

अनुबंध-II

एनएफटीआई का कामकाज के संबंध में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2095 के भाग (च) तथा (छ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के आंकडों के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण फैक्ट्रियों/इकाइयों में पंजीकृत कार्यरत व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	140	68	108	124
2	आंध्र प्रदेश	154227	168404	181016	184063
3	अरुणाचल प्रदेश	1214	999	949	1059
4	असम	92064	88415	93739	101458
5	बिहार	22564	24258	35380	29928
6	चंडीगढ़	939	690	745	1453
7	छत्तीसगढ	29060	26837	32919	35479
8	दादरा और नगर हवेली	295	336	290	321
9	दमन और दीव	1987	1773	1918	1556
10	दिल्ली	15590	13400	14326	13287
11	गोवा	7307	6795	8438	7372
12	गुजरात	119403	122015	132589	127313
13	हरियाणा	66304	68637	90131	80589
14	हिमाचल प्रदेश	16839	12949	11630	12213
15	जम्मू और कश्मीर	7543	9910	8822	8350
16	झारखंड	6820	7670	7511	8103
17	कर्नाटक	139954	137854	144604	153510
18	केरल	97541	101668	107494	99251
19	मध्य प्रदेश	58317	57688	62654	69942
20	महाराष्ट्र	223624	238477	240389	252555
21	मणिपुर	634	727	706	678
22	मेघालय	807	1242	1133	926
23	मिजोरम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	231
24	नागालैंड	286	274	308	264
25	ओडिशा	31714	34073	38731	36505
26	पुदुचेरी	3445	3510	3208	3196
27	पंजाब	128578	149319	141275	124344
28	राजस्थान	40555	42838	43632	45989
29	सिक्किम	1963	2008	2114	2141
30	तमिलनाडु	216886	226675	197080	206923
31	तेलंगाना	62919	68669	77176	88996
32	त्रिपुरा	2524	2509	2400	2737
33	उत्तर प्रदेश	175589	171058	178696	183572
34	उत्तराखंड	27794	31822	29522	28391
35	पश्चिम बंगाल	98390	109862	113612	119206